



सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण  
सीपज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीपज़-विआक्षे  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY  
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.  
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

SEEPZ-SEZ/EMS/IT/6/2017-18 / 10773

29.05.2017

**CIRCULAR NO. 6**

**Sub: Deduction of TDS on rent bills. reg...**

Attention to all the unit holders and Public Utilities are drawn towards the subject as mentioned above. Authority is exempted u/s 194A of the Income Tax Act, 1961 for deduction of TDS from income vide notification no. S.O. 3489 (F.NO. 12/164/68-ITCC/ITJ) Further Authority has applied to Central Board of Direct Taxes u/s 10(46) of the Income Tax Act for exemption in respect of entire Income with retrospective effect which is expected to receive shortly.

In view of above, all the Unit Holders and Public Utilities are requested that they may not deduct TDS on rent bills.

This issues with the approval of Chairperson of SEEPZ-SEZ Authority.

(Mahesh Yadav)  
Estate Manager /DDC,  
SEEPZ-SEZ Authority

To,  
All units and Public Utility.

अध्यक्ष Chairperson 28290856

सचिव Secretary 28294770

प्रबंधक (संपदा) Manager (Estate) 28294770

फैक्स / Fax : 28291385 / 28291754

ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in

वेबसाइट / Website : www.seepz.gov.in

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के बढ़ते कदम - राजभाषा के संग



सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण  
सीपज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीपज़-विआक्षे  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY  
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.  
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

सं.सीपज़-सेज़/ईएमएस/आइटी/6/2017-18/10773

दिनांक: 29.5.2017

**परिपत्र संख्या 6**

**विषय: किराया बिलों पर टीडीएस काटे जाने के संबंध में ।**

सभी यूनिटधारकों तथा जनोपयोगी सेवाओं का ध्यान उपर्युक्त विषय की ओर आकर्षित कराया जाता है । प्राधिकरण को अधिसूचना संख्या एस.ओ.3489 (फा.सं.12/164/68-आइटीसीसी /आइटीजे) द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 194ए के तहत आय से टीडीएस कटौती करने के संबंध में छूट मिली हुई है । प्राधिकरण ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से संपूर्ण आय से छूट के लिए आवेदन कर रखा है जिसका शीघ्र ही समाधान होने वाला है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी यूनिटधारकों तथा जनोपयोगी सेवाओं से अनुरोध है कि वे किराया बिलों पर टीडीएस न काटें ।

यह अध्यक्ष, सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(महेश यादव)

संपदा / (प्रबंधक) उप विकास आयुक्त

सीपज़सेज़ प्राधिकरण-

प्रति:-

सभी यूनिट तथा जनोपयोगी सेवाएं